उत्तर: a)

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority: CCPA)?

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 (1) के तहत प्राधिकरण का गठन किया गया है।** इसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया गया है, और उपभोक्ता की चिंताओं को दूर करने हेतु इसके दायरे कोम विस्तृत किया गया। **नए अधिनियम के तहत वस्तु या सेवा की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने एवं भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों की पहचान की जाती है।** यह वस्तु और सेवाओं को "नुकसानदायक, खतरनाक या असुरक्षित" (dangerous, hazardous or unsafe) पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने को भी निर्दिष्ट करता है।
2. नए अधिनियम द्वारा गठित CCPA का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं, और झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों जो, जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं, पर रोक लगाकर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है।
3. CCPA को उपभोक्ता अधिकारों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित मामलों में पूछताछ करने या जांच करने, या प्राप्त शिकायत पर, या केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

CCPA में प्रमुख के रूप में मुख्य आयुक्त और सदस्य के रूप में दो अन्य आयुक्त होंगे।

सीसीपीए में एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेंगे।

4) उपभोक्ता मामलों के विभाग निम्नलिखित किनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

2. बाट और माप के मानक

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

4. प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1952

सही उत्तर कूट चुनिए:

a) 1, 2, 3

b) 2, 3

d) 2, 3, 4

d) 1, 2, 3, 4

उत्तर: d)

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत दो विभागों में से एक है। जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था।

विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपा गया है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

बाट और माप के मानकों का कार्यान्वयन - कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009।

डिब्बाबंद वस्तुओं का विनियमन।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण पर किसी अन्य विभाग द्वारा विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की गई)।

कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम, 1980 (1980 का 7)।

कीमतों की निगरानी और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।

प्रत्यक्ष बिक्री

लीगल मेट्रोलॉजी में प्रशिक्षण।

प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1952।